

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000522015

दांडिक प्रकरण क.-32 / 15

संस्थापित दिनांक-16.02.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर । <div>.....अभियोजन</div>
विरुद्ध
01-नरेंद्र पुत्र संतुआ वंशकार उम्र 22 वर्ष धंधा मजदूरी निवासी खैरा थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 । <div>.....आरोपी</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ. । आरोपी द्वारा :- श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 29.05.2017 को घोषित)

- 01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456, 323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया ।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है ।
- 03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया

है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 456 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी विद्याबाई ने दिनांक 03.02.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को रात करीब 10 बजे वह अपने घर के किवाड़ बंद करके अपने कमरे में अपने छोटे-छोटे दो बच्चों के साथ सो रही थी। फिर उसके कमरे के किवाड़ों को सरकाकर उसके गांव का नरेंद्र कमरे में घुस आया, कमरे में लाइट जल रही थी। आवाज सुनकर वह उठ गई और पूछा कि कौन है तो नरेंद्र उसमें दो-तीन थप्पड़ मारकर भाग गया। थप्पड़ उसके दोनों तरफ के गालों में मारे। फिर उसने अपनी सास गोराबाई को जगाया और उन्हें यह बात बताई। नरेंद्र को कल्लू लोधी, रामचरण लोधी ने देखा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 26/15 के अंतर्गत भादवि की धारा 456, 323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 456, 323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 02.02.2015 को समय रात करीब 10.00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम खैरा में फरियादिया का मकान जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह-अतिचार कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 विद्याबाई, अ.सा. 02 कल्लू की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 विद्याबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोप ने घर के बाहर गाली गलौच की थी और घर के बाहर ही उसके साथ झूमा झटकी की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी घटना दिनांक को उसके घर के अंदर घुस आया था तथा इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 कल्लू ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने कोई झगडा नहीं देखा। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि वह घटना दिनांक को अपने घर पर सो रहा था और तब उसे चीखने की आवाज आई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी उसे फरियादिया के घर से भागते हुए दिखा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 04 देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि आरोपी रात्रि में फरियादिया के घर में घुसा था। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी ने फरियादिया के मकान में रात्रि में घुसकर प्रछन्न गृह अतिचार कारित किया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को

भादवि की धारा 456 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)